पत्रांक:सी0आर0आई0–1109–2014–15–

वित्त एवं लेखाधिकारी,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान सं0–81(आयोजनागत)
बजट आवंटन–डी0डी0ओ–2051

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक –08–2014

विषय:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना (टी0एस0पी0) के संचालन हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन।

महोदय,

अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में लेखानुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना (टी0एस0पी0) के लिए धनराशि रू0 0.50 लाख (रू. पचास हजार मात्र) का आयोजनागत पक्ष में प्राविधान किया गया है।

2 – उक्त क्रम में शासनादेश संख्या : 429/59–2–2014–30(खा)/2009, दिनांक–21 जुलाई, 2014 द्वारा प्रथम चार माह के लिए धनराशि रू0 16,000.00 मात्र (रू0 सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, लखनऊ को प्रदान की गई है।

3. प्रस्तर–2 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति को निदेशक महोदय से प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निम्नवत् बजट आबंटन एतद्द्वारा इस शर्त पर आवंटित की जाती है, कि कृपया नियमानुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही बजट आवंटन की सीमा तक धनराशि आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ससमय सदुपयोग करने का कष्ट करें, इससे विचलन की दशा में आहरण–वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(धनराशि हजार रू0 में)

लेखा शीर्षक/ योजना का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आबंटित धनराशि	कुल आबंटित धनराशि
अनुदान संख्या– 81 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत– 796– जनजाति क्षेत्र उपयोजना– 06–विपणन विकास सहायता कार्यकम 27– सब्सिडी	429/59–2–2014–30(खा)/2009, दिनांक : 21 जुलाई, 2014	0.00	16.00	16.00
योग–कुल आबंटन (रू0 सोलह हजार मात्र)		0.00	16.00	16.00

4– प्रस्तर–3 में आवंटित धनराशि को व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग –1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795/दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शिविर का आयोजन प्रदेश के ऐसे जनपदों/तहसीलों/ब्लाकों/कस्बों में किया जायेगा, जहॉ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों की जनसंख्या/आबादी 25 प्रतिशत उससे अधिक हो।

6– आबंटित धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– आबंटित धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण–पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8-- आबंटित धनराशि का आहरण एवं उससे व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9-- आबंटित धनराशि से योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

10-- प्रश्नगत धनराशि जिस मद के लिए स्वीकृत/आबंटित की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगे।

11-- स्वीकृत/आबंटित धनराशि परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगें।

12-- उपर्युक्त आवंटित धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

13-- उपर्युक्त आवंटित धनराशि के व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजातिं क्षेत्र उपयोजना -06- विपणन विकास सहायता कार्यक्रम -27- सब्सिडी " के नामें डाला जायेगा।

14-- उक्त बजट आवंटन की प्रविष्टि वर्ष 2014-15 के बजट आवंटन रजिस्टर संख्या-237 के पृष्ठ क्रमाक-15 पर अंकित कर दी गयी है।

भवदीय,

(डी0पी0सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः सी0आर0आई0-1109-2014-15-487-95 लखनऊःदिनांक : 13-08-2014

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त बजट आवंटन की सीमा तक आहरण-वितरण अधिकारी,कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत देयकों को नियमानुसार पारित करने का कष्ट करें।

02. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2014 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन मांग प्रस्तुत कर स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग करने का कष्ट करें।

03. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

04. प्रमुख सचिव, खादी ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,, लखनऊ।

05. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

06. सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

07. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।

08. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।

13/8/14

(डी0पी0सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी